छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
Telephone: 0771-2272973, Email: mc-swc.cg@gov.in, Website : www.cgswc.cg.gov.in

Speed Post

क्रमांक / छगवेका / व्यव0 / भ0शु0 दर / 2025–26 / 290 नवा रायपुर, दिनॉक– 07.01.26

प्रति,

समस्त नोडल अधिकारी / शाखा प्रबंधक,
छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– वर्ष 2025–26 से भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण शुल्क पुनरिक्षित एवं देयक प्रस्तुति बाबत्।

संदर्भः– Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution on Department of Food & Public Distribution's Letter No. 9-7/2014-SG-I (387086), Krishi Bhavan, New Delhi Date: 22th December. 2025.

विषयान्तर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली का पत्र No. 9-7/2014-SG-I (387086), Krishi Bhavan, New Delhi Date: 22th December. 2025 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के स्कंध हेतु दिनांक 01.04.2025 से पुनरीक्षित भण्डारण शुल्क दरें निर्धारित की गयी है, के अनुसार इस निगम को भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण शुल्क का भुगतान किया जाना है। इस संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. भारतीय खाद्य निगम हेतु एक वर्ष के आरक्षण (गारंटी अवधि) हेतु भण्डारण शुल्क देयक रुपये 5.39 (50 किलो भरती) प्रतिमाह के दर से वसूली की जावेगी।
2. एक वर्ष से कम अवधि के आरक्षण हेतु निगम द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक दर (अन्य जमाकर्ता हेतु निर्धारित दर) जो लागू हो वसूल की जावेगी। वाणिज्यिक दर निगम द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर परिवर्तन अनुसार लागू होगा।
3. किसी शाखा पर आरक्षण अवधि में यदि आरक्षित मात्रा से अधिक / वास्तविक आधार पर स्कंध भण्डारित होता है, तो आरक्षण से अधिक / वास्तविक आधार पर भण्डारित मात्रा हेतु वाणिज्यिक दर जो लागू हो प्रतिबोरी (50 किलो भरती) प्रतिमाह से वसूली की जावेगी।
4. आरक्षण से अधिक / वास्तविक आधार पर भण्डारित मात्रा हेतु 15 दिन या इससे कम अवधि हेतु निर्धारित भण्डारण शुल्क वाणिज्यिक दर का 50 प्रतिशत एवं 15 दिन से अधिक अवधि हेतु एक माह का पूरा वाणिज्यिक दर पर भण्डारण शुल्क वसूल किया जावेगा।
5. भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाने वाले आरक्षण से अधिक / वास्तविक आधार पर संग्रहित स्कंध के प्रत्येक देयक पर भारतीय खाद्य निगम के पदस्थ प्रतिनिधियों से अनिवार्य रुप से प्रति हस्ताक्षरित (पद मुद्रा सहित) करवाकर देयक चार प्रति में मुख्यालय रायपुर को प्रस्तुत किया जावे।
6. प्रत्येक देयक पर शाखा प्रबंधक द्वारा प्रि–रिसिप्ट किया जाना चाहिये। राशि रुपये 5,000/– एवं अधिक के देयक पर रसीद टिकट लगाकर प्रि–रिसिप्ट करें।

भण्डारण शुल्क दरें दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील होगी। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक

क्रमांक / छगवेका / व्यव0 / भ0शु0 दर / 2025–26 / 290 नवा रायपुर, दिनॉक– 07.01.26

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय–कांपा, रायपुर ।
3. मण्डल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर।
4. प्रबंधक (लेखा / कार्मिक / तकनीकी) / वसूली अधिकारी, छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर।
5. प्रोग्रामर, छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय, निगम की वेबसाईड में अपलोड करें।

प्रबंध संचालक

सं./ No. 9-7/2024-SG.I (387086)

भारत सरकार
Government of India
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
Department of Food and Public Distribution
****

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
दिनांकित / Dated: 22nd December, 2025

To,

Managing Director
Central Warehousing Corporation
4/1, Siri Fort Institutional Area,
August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi-110016

Subject: Revision of Storage Charges payable by Food Corporation of India (FCI) to Central Warehousing Corporation (CWC) for the year 2025-26- reg.

Sir,

I am directed to refer to CWC's letter no. CWC CO-FD0RCVY/13/2025 (e-111117) dated 29.07.2025 on the subject mentioned above and to say that on the basis of recommendations of the Principal Advisor Cost of this Department conveyed vide their Report No. 400 dated 04.11.2025, and concurrence of IFD, it has been decided to fix the storage charges payable by FCI to CWC as well as SWCs @ Rs.5.39/- per bag of 50 kg per month w.e.f. 01st April, 2025 for the FY 2025-26 at the actual storage capacity. These rates shall be applicable in those cases where the FCI agrees to keep the stock for guaranteed storage for a minimum period of one year or more.

2. As regards, non-guaranteed charges, the existing policy will continue until further orders.

3. This is issued with the approval of Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Yours faithfully,

(Mateshwari Prasad Mishra)
Director (Storage & Warehouse)
Tel: 011-23097050

Copy to:

(i) Chairman and Managing Director (CMD), FCI, New Delhi
(ii) Joint Secretary (Policy & FCI), DFPD
(iii) PI Cell, DFPD
(iv) Managing Directors of all State Warehousing Corporations (SWCs) (as per standard list)
(v) PPS to Joint Secretary (Storage), DFPD